न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण सख्या:–121/14 दायर दिनांक:– 09.10.14

जीसीएमएस नं. 2014/00540

उनवान

समयसिंह पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी बनकी का पुरा तहसील बाजना रेल्वे फाटक तहसील हिण्डौन जिला करौली

––वादीगण–05

बनाम

ळरिप्रसाद पुत्र सियाराम जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

––प्रतिवादीगण–17

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरस्ती एवं भूमि विभाजन

निर्णय दिनांक:– 12-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 136, 53 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार–बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 27.11.2014 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 121/14 समय सिंह बनाम हरिप्रसाद आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पैरवी में खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:45:45 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली